भारत की संसद
(लोक सभा सचिवालय)
लोक सभा शोध अध्येतावृत्ति

लोक सभा सचिवालय का संसदीय अभिरूचि के विषयों पर पुस्तक लेखन हेतु वर्ष 2016 के लिए 21 शोध अध्येतावृत्तियां प्रदान करने का प्रस्ताव है । इन अध्येतावृत्तियों, जिनके माध्यम से उच्च स्तरीय संसदीय विषयों पर शोध कार्य करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, का उद्देश्य भारतीय संसद से संबंधित विषयों पर मौलिक अध्ययन को बढ़ावा देना और इसके लिए सहायता प्रदान करना है ।

इन अध्येतावृत्तियों की अवधि दो वर्ष होगी जिसे बढ़ाया नहीं जाएगा । प्रत्येक अध्येतावृत्ति की कुल राशि अधिकतम 10 लाख रुपये होगी और इसके अतिरिक्त 50,000/- रुपये आकस्मिकता भत्ता दिया जाएगा । शोधार्थी को स्वीकृत राशि किस्तों में प्रदान की जाएगी । प्रत्येक किस्त परियोजना की संतोषजनक प्रगति और अध्येतावृत्ति समिति की सिफारिश पर ही जारी की जाएगी । चयनित शोधार्थियों को शोध कार्य हेतु संसद ग्रंथालय का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी ।

ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने वर्ष 2013 और 2016 में लोक सभा शोध अध्येतावृत्तियों हेतु आवेदन किया था, यदि वे चाहें तो पुनः आवेदन कर सकते हैं ।

विधिवत् रूप से भरे गए आवेदन पत्र संयुक्त निदेशक, लोक सभा सचिवालय, कमरा सं. 128, संसदीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली-110001 को 31 अगस्त, 2016 को अथवा उससे पहले पहुंच जाने चाहिए । पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र की सॉफ्ट कॉपी सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ pprls@sansad.nic.in पर भी भेज दी जाए । यह नोट कर लें कि अपूर्ण आवेदन पत्र तुरंत अस्वीकार कर दिए जाएंगे ।

लोक सभा शोध अध्येतावृत्तियां, 2016 से संबधित दिशानिर्देश और नियमों के बारे में विस्तृत जानकारी तथा आवेदन पत्र के लिए http://loksabha.nic.in का अवलोकन करें ।

लोक सभा

शोध अध्येतावृत्ति (फेलोशिप)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

लोक सभा शोध अध्येतावृत्ति

संबंधी

दिशानिर्देश और नियम

2016

लोक सभा शोध अध्येतावृत्तियां

1. प्रस्तावना

भारत की संसद विश्व के सबसे बड़े कार्यशील लोकतंत्र का सर्वोच्च परामर्शी निकाय और उच्चतम प्रातिनिधिक संस्था है। इसी संसद के दोनों सदनों में करोड़ों की जनसंख्या वाले राष्ट्र की नियति निर्धारित होती है। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के पास लोगों की समस्याओं और सरोकारों को मुखरित करने, कार्यपालिका को सदैव जवाबदेह बनाए रखने तथा राष्ट्रीय कल्याण की नीतियों और कार्यक्रमों की गहन निगरानी करने के लिए अनेक प्रक्रियात्मक साधन उपलब्ध हैं। संसद ने स्वतंत्रता प्राप्ति के छह दशकों में लोगों के मन -मस्तिष्क में एक विशेष स्थान बना लिया है।

इसी कारण, संसदीय रुचि के विषयों के गहन अध्ययन और शोध की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। यह हमारी संसद के कार्यकरण को बेहतर ढंग से समझने, हमारी संसदीय संस्थाओं की बदलती प्रकृति और भूमिका की पहचान करने तथा अन्य लोकतांत्रिक राष्ट्रों के अनुभवों के दृष्टिगत विकल्प सुझाने के उद्देश्य से आवश्यक है। लोक सभा सचिवालय का इस विषय में अभिरुचि रखने वाले अध्येताओं को शोध अध्येतावृत्ति (फेलोशिप) प्रदान कर ऐसे मूल अध्ययनों को प्रोत्साहन और सहायता देने का प्रस्ताव है ।

शोध कार्यो के लिए प्रस्तावों में पिछले शोध अनुभव अथवा सर्वेक्षण पद्धति के माध्यम से संकलित प्राथमिक आंकड़े/सामग्री के विश्लेषण और उसकी व्याख्या अथवा द्वितीयक आंकड़ों के आधार पर किए गए शोध कार्य पर आधारित पुस्तक/मोनोग्राफ लिखना शामिल है।

2. पुस्तक लेखन हेतु अध्येतावृत्तियां

लोक सभा सचिवालय संसद अथवा संसदीय लोकतंत्र से संगत अथवा संबंधित किसी भी विषय पर प्रति वर्ष पच्चीस शोध अध्येतावृत्ति प्रदान करेगा ।

3. अवधि

अध्येतावृत्ति की अवधि दो वर्ष की होगी और इसे बढ़ाया नहीं जायेगा ।

4. पात्रता

अध्येता संसदीय अध्ययनों से संबंधित किसी भी विषय में उत्कृष्ट शैक्षिक रिकॉर्ड वाला/वाली अथवा अपने क्षेत्र का/की विशेषज्ञ होना/होनी चाहिए।

5. शोध अध्येतावृत्तियां प्रदान करने के लिए चयन प्रक्रिया

(i) शोध अध्येतावृत्तियां प्रदान करने के लिए अध्येताओं का चयन अध्येतावृत्ति समिति द्वारा किया जाएगा ।

(ii) अध्येतावृत्ति की घोषणा हिन्दी, अग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं के प्रमुख दैनिक राष्ट्रीय समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन के माध्यम से की जाएगी । यह विज्ञापन लोक सभा की वेबसाइट पर भी प्रमुख रूप से दिखाया जाएगा और इसमें आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की विस्तृत प्रक्रिया का उल्लेख किया जाएगा । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद, भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, इंदिरा गांधी विकास शोध संस्थान, संवैधानिक और संसदीय अध्ययन संस्थान,

विकास अध्ययन केंद्र, भारतीय विश्व मामले परिषद, भारतीय ग्रामीण विकास संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर शोध हेतु भारतीय परिषद, रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान, राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद, विकासशील देशों हेतु शोध और सूचना प्रणाली ; राष्ट्रीय लोक वित्त संस्थान, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी; भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान ; लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी ; भारतीय विश्वविद्यालय संघ ; राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय ; अखिल भारतीय विधि संस्थान/विश्वविद्यालय ; सहित सभी प्रमुख केंद्रीय विश्वविद्यालयों ; तथा अन्य प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थाओं राज्य विधानमंडलों ; लोक सभा टेलीविज़न ; राज्य सभा टेलीविज़न ; दूरदर्शन ; संचार माध्यम संगठनों और अन्य प्रतिष्ठित संस्थाओं से अनुरोध किया जाएगा कि वे अध्येतावृत्ति समिति के विचारार्थ लोक सभा सचिवालय को उपयुक्त अभ्यर्थियों के नाम भेजें । अध्येतावृत्ति योजना संबंधी सूचना संसद की कार्यवाही को कवर करने वाले मीडियाकर्मियों को भी दी जा सकती है।

(iii) समिति स्वयं भी अध्येतावृत्ति के लिए प्रतिभावान अध्येताओं के बारे में विचार कर सकती है ।

(iv) आवेदक को अपने वैयक्तिक विवरण अपने प्रस्ताव के 1000 शब्दों के सारांश सहित विधिवत रूप से एक निर्धारित प्रपत्र (<u>अनुबंध</u>) में भरकर भेजने होंगे ।

(v) अध्येतावृत्ति समिति इन पर विचार करेगी और लोक सभा अध्येतावृत्ति प्रदान किये जाने के लिए माननीय लोक सभा अध्यक्ष को नामों की अनुशंसा करेंगी ।

(vi) यदि समिति को अध्येतावृत्ति हेतु कोई उपयुक्त आवेदक नहीं मिलता है, तो उस वर्ष कोई भी अध्येतावृत्ति नहीं दी जाएगी। तथापि, निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन समिति अगले वर्ष उस वर्ष विशेष की अध्येतावृत्ति प्रदान करने पर विचार कर सकती है।

(vii) अध्येता को अध्येतावृत्ति समिति के विचारार्थ और संतुष्टि के लिए अध्येतावृत्ति संबंधी शोध कार्य की त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। अध्येतावृत्ति समिति के मूल्यांकन और अवलोकनार्थ अंतिम रूप से तैयार रिपोर्ट की तीन प्रतियां समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाएंगी ।

6. **प्रस्तावों को प्रस्तुत करने के लिए दिशा-निर्देश**

(i) प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय, फार्मेट मुख्यतया निम्नलिखित क्रम और दिशा-निर्देशों के अनुसार होना चाहिए:

(क) शोध कार्य का शीर्षक

(ख) समस्या का विवरणः शोध प्रस्ताव के आरम्भिक पैराओं में उस समस्या का स्पष्ट और संक्षिप्त उल्लेख किया जाना चाहिए जिसका अध्ययन किया जाना है । संबंधित क्षेत्र के सैद्धांतिक संदर्भ में समस्या के महत्व का विशेष रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए ।

(ग) विषय सामग्री का विहंगावलोकनः शोध विषय के क्षेत्र में शोध की वर्तमान स्थिति, प्रमुख निष्कर्षों सहित संक्षिप्त विवरण देते हुए शोध

प्रस्ताव में विचाराधीन समस्या के अध्ययन हेतु दृष्टिकोणों अथवा निष्कर्षों की प्रासंगिकता को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया हो।

(घ) वैचारिक रूपरेखाः समस्या के अध्ययन के लिए प्रस्तुत समस्या और सैद्धांतिक परिदृश्य के संदर्भ में प्रस्ताव में प्रयुक्त होने वाली अवधारणाओं का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया हो और अध्ययन के लिए उनकी प्रासंगिकता का निरूपण किया गया हो। इसमें समस्या के अध्ययन हेतु आवश्यक प्रयोगसिद्ध आयाम, यदि कोई हो, का भी विशेष रूप से जांच हेतु पता लगाया जाना चाहिए।

(ड.) शोध प्रश्न/परिकल्पनाः वैचारिक रूपरेखा और समस्या की व्यापकता को देखते हुए, प्रस्तावित अध्ययन के माध्यम से जिन विशिष्ट प्रश्नों का उत्तर दिया जाना है और जिस परिकल्पना की जांच की जानी है, वे इस प्रकार स्पष्ट रूप से निर्धारित किये जाने चाहिए कि शोध डिजाइन के अनुरूप हों ।

(च) व्याप्ति: उठाये गये प्रश्नों अथवा जांच के लिए प्रस्तावित परिकल्पना के परिप्रेक्ष्य में, यदि नमूना लेना आवश्यक हो तो निम्नलिखित विषयों के संबंध में पूरी जानकारी दी जानी चाहिएः

(i) अध्ययन की समष्टि; (ii) नमूने की रूपरेखाः और

(iii) जांच इकाई और नमूने का आकार।

यदि अध्ययन के लिए किन्हीं नियंत्रक समूहों की आवश्यकता है, तो उनका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। नमूने के आकार और प्रकार की अवधारणा को स्पष्ट करना भी

आवश्यक होगा । ऐसे प्रस्ताव जिनमें नमूने का चयन करना अपेक्षित नहीं है उनमें उनकी कार्यनीति का उल्लेख समुचित रूप से किया जाना चाहिए तथा उसके तर्काधार का वर्णन किया जाना चाहिए ।

(ii) कार्यपद्धति: अध्ययन के लिए शोध पद्धतियों का उपयुक्त विवरण दिया जाए ।

(iii) आंकड़ा संग्रहणः विभिन्न प्रकार की सामग्री, जिसे एकत्र करने का प्रस्ताव है, का विशिष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए । विभिन्न प्रकार की सामग्री एकत्र करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले साधनों और तकनीकों तथा प्रत्येक प्रकार की सामग्री के स्रोतों का विवरण दिया जाना चाहिए ।

(iv) समय-निर्धारणः शोध कार्य को उपयुक्त चरणों में विभाजित किया जाना चाहिए और कार्य के प्रत्येक चरण को पूरा करने के लिए अपेक्षित समय का विवरण दिया जाना चाहिए ।

(v) संदर्भ ग्रंथ सूची

7. समझौता ज्ञापन

अध्येतावृत्ति के लिए चुने गए आवेदक को लोक सभा सचिवालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने होंगे, जिसमें यह शपथ - पत्र होगा कि वह इसमें उल्लिखित नियमों एवं शर्तों का पालन करेगा/करेगी।

8. अध्येतावृत्ति की राशि

(i) पुस्तक लेखन के लिए प्रत्येक अध्येतावृत्ति की कुल राशि अधिकतम 10,00,000 रू. (केवल दस लाख रूपये) जमा आकस्मिक भत्ते के रूप में 50,000 रु. (केवल

पचास हजार रूपये) होगी। अध्येता को स्वीकृत धनराशि किस्तों मे दी जाएगी, जो शोध कार्य की संतोषजनक प्रगति और समिति द्वारा इस आशय की अनुशंसा करने के अध्यधीन होगी।

9. ग्रंथालय सुविधा

शोध अध्येता को संसद ग्रंथालय में उसके शोध से संबंधित उपलब्ध दस्तावेजों के अध्ययन के लिए ग्रंथालय में आने-जाने की और निः शुल्क फोटोकॉपी की सुविधा प्रदान की जाएगी ।

10. पुस्तकों के प्रकाशन संबंधी सहायता

(i) अध्येतावृत्ति समिति द्वारा अध्येतावृत्ति के अंतिम प्रतिवेदन के प्रकाशन की अनुशंसा किये जाने और तदनन्तर उसे माननीय लोक सभा अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित कर दिए जाने के बाद आवेदक को पुस्तक के प्रकाशन के लिए किसी विख्यात प्रकाशक के साथ करार करना होगा और उस करार की एक प्रति लोक सभा सचिवालय को उपलब्ध करानी होगी ।

(ii) जिस पुस्तक के प्रकाशन के लिए सचिवालय द्वारा अनुदान राशि प्रदान की गई हो, उसके भीतरी मुख पृष्ठ के पिछले भाग पर निम्नलिखित पाठ स्पष्ट रूप से मुद्रित किया जाएगाः

"इस पुस्तक के प्रकाशन के लिए लोक सभा सचिवालय द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। इसमें वर्णित तथ्यों अथवा व्यक्त विचारों का दायित्व पूर्णतः लेखक का है, लोक सभा सचिवालय का नहीं ।"

(iii) यदि लोक सभा सचिवालय द्वारा प्रकाशन सहायता प्रदान की जाती है, तो अध्येता इस प्रकाशन की 50 प्रतियां मानार्थ लोक सभा सचिवालय को उपलब्ध कराएगा।

(iv) यदि लोक सभा सचिवालय द्वारा प्रकाशन सहायता प्रदान नहीं की जाती अथवा अध्येता कोई सहायता नहीं मांगता और इसे स्वयं प्रकाशित करवाना चाहता है, तो सचिवालय "दावात्याग खंड" का अवलंब लेगा, अर्थात "वर्णित तथ्यों अथवा व्यक्त विचारों का दायित्व पूर्णतः लेखक का है, लोक सभा सचिवालय का नहीं" और इसके लिए अनुमति प्रदान करेगा । ऐसी स्थिति में अध्येता को प्रकाशन की 10 प्रतियां मानार्थ लोक सभा सचिवालय को उपलब्ध करानी होगी ।

11. आवास

अध्येताओं को उनकी सेवा की आकस्मिकता को देखते हुए, वेस्टर्न कोर्ट, नई दिल्ली में गैर-एसी सुविधा वाले एक कमरे का आवास दिया जाएगा जो उपलब्धता के अध्यधीन होगा।

12. सामान्य

अध्येतावृत्ति से संबंधित सभी मामलों में माननीय लोक सभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा ।

13. प्रतिलिप्याधिकार

इस प्रकाशन का प्रतिलिप्याधिकार लोक सभा सचिवालय के पास रहेगा।

शर्तें

1. कि नियमों और दिशानिर्देशों में यथा उल्लिखित निर्धारित समय के भीतर शोध कार्य पूरा कर लिया जाएगा और पुस्तक की अंतिम पांडुलिपि लोकसभा सचिवालय को प्रस्तुत कर दी जाएगी।
2. कि कार्य की त्रैमासिक/मासिक प्रगति रिपोर्ट निर्धारित समय पर लोक सभा सचिवालय को प्रस्तुत की जाएगी।
3. विनिर्दिष्ट समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत न किए जाने पर बिना किसी सूचना के अध्येतावृत्ति को निलंबित/रद्द किया जा सकता है।
4. कि यदि किसी भी कारण से अध्येतावृत्ति समिति कार्य की प्रगति को असंतोषजनक पाती है तो बिना कोई सूचना दिए किसी भी समय लोक सभा सचिवालय को अध्येतावृत्ति समाप्त करने का अधिकार है।
5. अध्ययन पूरा हो जाने पर, अध्येता द्वारा पांडुलिपि में इस आशय की एक घोषणा उपयुक्त रूप से सम्मिलित की जाएगी कि "यह शोध कार्य मूलतः लेखक का ही होने के कारण, लोक सभा सचिवालय तथ्यात्मक अशुद्धियों, गलतियों, निष्कर्षों, यदि कोई हों, के लिए उत्तरदायी नहीं है।"
6. अध्येता को लोक सभा सचिवालय से प्राप्त सहायता को उन शब्दों में अभिस्वीकार करना होगा जो अध्येतावृत्ति समिति के प्राधिकार के अधीन सचिवालय द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।
7. इस प्रकाशन का प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय के पास रहेगा।
8. सभी मामलों में माननीय लोक सभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।

अध्येता के हस्ताक्षर

स्थानः

तारीखः

शपथ पत्र

1. मैं एतद्वारा "....." नामक विषय पर लोक सभा सचिवालय द्वारा प्रस्थापित पुस्तक लेखन के लिए किस्तों में संवितरित की जाने वाली ..... रु. (.....रुपये) जमा आकस्मिक भत्ते के रूप में ---------- रु. (---------- रूपये) की शोध अध्येतावृत्ति को स्वीकार करता/करती हूं तथा अनुदान से जुड़ी सभी अपेक्षाओं और शर्तों को पूरा करने और विद्यमान नियमों तथा भविष्य में बनाये जाने वाले संभावित नियमों का पालन करने के लिए सहमत हूं।

2. मैं इस विषय/ परियोजना पर शोध के लिए किसी अन्य स्रोत से वित्तीय सहायता स्वीकार नहीं करुंगा/करुंगी।

3. मैं इस बात से सहमत हूं कि यदि मैं अध्येतावृत्ति से जुड़ी किसी भी शर्त का उल्लंघन/उपांतरण/उपेक्षा करता/करती हूं, तो लोक सभा सचिवालय को इस अध्येतावृत्ति के निलबंन का अधिकार है।

4. मैं इस बात से सहमत हूं कि मुझसे उपर्युक्त पैरा 2 के अंतर्गत यथा उपबंधित कोई वसूली लोक सभा सचिवालय के विवेकानुसार लोक ऋण अधिनियम, 1944 (समय-समय पर यथा संशोधित) के अंतर्गत मुझसे अथवा मेरी संस्था के माध्यम से की जा सकती है।

अध्येता के हस्ताक्षर

विभाग/संस्था के प्रमुख के हस्ताक्षर
(जहां भी लागू हों)

स्थानः
तारीखः

अनुबंध

संसदीय विषयों पर पुस्तक लेखन हेतु लोक सभा अध्येतावृत्ति प्रदान करने के लिए आवेदन-प्रपत्र[1]

हाल का पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाएं

1. नाम.....
   (स्पष्ट अक्षरों में)

2. माता/पिता का नाम.....
   (स्पष्ट अक्षरों में)

3. जन्म तिथि.....

4. श्रेणी (अजा./अजजा/अ.पि.व./सामान्य) .....

5. पत्राचार के लिए पता.....

.....

.....

दूरभाष.....मोबाइल.....ई-मेल.....

6. स्थायी पता.....

.....

दूरभाष.....मोबाइल.....ई-मेल.....

7. संस्थान,जहां इस समय कार्यरत हैं (पते सहित) (जहां लागू हो)…….....

   .....

   दूरभाष.....फैक्स.....ई-मेल.....

8. **शैक्षिक योग्यताः** (कृपया केवल तीन प्रमुख डिग्रियों का ब्यौरा दें)
   (उच्च डिग्री से आरंभ करें)

क्र.सं.	डिग्री/प्रमाण पत्र	संस्थान	वर्ष **(.....**से.....तक**)**

[1] आवेदक द्वारा यह आवेदन पत्र अपने विभाग/संगठन जहां वह कार्यरत हो**,** के प्रमुख के माध्यम से भेजा जाना चाहिए। **(**जहां लागू हो**)**

9. **व्यावसायिक अनुभव,** यदि कोई हो (यदि आवश्यक हो तो अलग कागज जोड़ें)

क्र.सं.	विषय	संस्थान	वर्ष (.....से.....तक)

10. **संगत शोध-अनुभव/प्रकाशनः** (यदि आवश्यक हो तो अलग कागज जोड़ें)

क्र.सं.	विषय	संस्था	वर्ष (.....से.....तक)

11. प्रकाशित पुस्तकें, यदि कोई हो (जहां आवश्यक हो, अलग कागज जोड़ें)

.....

.....

12. संसदीय अध्ययन के क्षेत्र में अनुभव, यदि कोई हो (यदि आवश्यक हो तो अलग कागज जोड़ें)

_____

_____

_____

शोध प्रस्ताव

कृपया इस आवेदन पत्र के साथ लगभग 1000 शब्दों में प्रस्तावित शोध परियोजना का सार संलग्न करें । शोध प्रस्ताव में अन्य बातों के साथ-साथ निम्निलिखत बातें सम्मिलित होनी चाहिएः-

* सार * शोध समस्या का शीर्षक, पृष्ठभूमि और विवरण * विषय सामग्री का विहंगावलोकन * वैचारिक रूपरेखा * शोध प्रश्न अथवा परिकल्पना * परिकल्पना की व्याप्ति * नमूना परीक्षण * कार्य पद्धति * आंकड़ा संग्रहण * समय निर्धारण * संदर्भ ग्रंथ सूची * अंतिम रिपोर्ट की अनंतिम रूप रेखा

प्रमाण पत्र

मैं प्रमाणित करता/करती हूं कि इस आवेदन पत्र में दिया गया विवरण मेरी जानकारी के अनुसार सही है।

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान :

तारीख : _____

***** आवेदक द्वारा यह आवेदन पत्र अपने विभाग/संगठन जहां वह कार्यरत हो, के प्रमुख के माध्यम से भेजा जाना चाहिए । (जहां लागू हो)